प्रेषक

बी0एल0 मीणा,
अपर मुख्यि सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग लखनऊरदिनांकर 03 जुलाई, 2024

विषयरू- मैसर्स शिव चावल उद्योग, ग्राम-व पोस्ट-हरचन्दपुर, रायबरेली के राइस मिल इकाई की स्थापना हेतु उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्क रण उद्योग नीति-2017 योजनान्त्र्गत ब्यायज उपादान अवमुक्तर किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-खा0प्र0मि0-360/2024-25/783, दिनांक-10.06.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. उल्लेयखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्याो-10 के अधीन खाद्य प्रसंस्कउरण शाखा के अन्त र्गत चालू योजना में लेखाशीर्षक-2401-119-04-0418 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 हेतु शासनादेश संख्या-160/2024/374/58-2-2024-1703838 दिनांक 23.04.2024 द्वारा धनराशि रू0 5004.00 लाख (रूपया पचास करोड़ चार लाख मात्र) अवमुक्ता करते हुए आपके निवर्तन पर रखी गई है, जिसमें 27-सब्सिडी मद में रू0 5000.00 लाख की धनराशि सम्मिलित है ।

3. कृषि उत्पा्दन आयुक्तत, उ0प्र0 शासन की अध्यमक्षता में गठित स्टे(ट लेबल इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांकरू 24.12.2021 में मैसर्स शिव चावल उद्योग, ग्राम-व पोस्ट-हरचन्दपुर, रायबरेली के राइस मिल इकाई की स्थापना हेतु उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्कवरण उद्योग नीति-2017 के अन्तरर्गत पूँजीगत अनुदान की स्वी2कृत किये जाने की संस्तुसति/अनुमोदन के क्रम में शासनादेश संख्याल-152/2022/689/58-2-2022-600(68)/2022, दिनांक-07.12.2022 द्वारा धनराशि रू0-26.03 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीमय स्वी-कृति प्रदान की गयी है। निदेशक द्वारा उपलब्धे कराये गये प्रस्ताठव एवं अभिलेखानुसार मैसर्स शिव चावल उद्योग, ग्राम-व पोस्ट-हरचन्दपुर, रायबरेली के राइस मिल इकाई की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु ब्याज उपादान की प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू. 6.29 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु ब्याज उपादान की द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू. 6.05 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु ब्याज उपादान की द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू. 3.01 लाख कुल धनराशि रू. 15.35 (रू. पन्द्रह लाख पैतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्ती य स्वी.कृति श्री राज्यपाल निम्निलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों0 के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैंरू-

(1) उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के प्रावधानों एवं तत्संबबंध में निर्गत सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा अनुपालन की स्थिति से शासन को अवगत कराया जायेगा।

(2) शासनादेश संख्या-36/2017/1343/58-2-2017-600(7)/2017, दिनांक-21.12.2017 एवं शासनादेश संख्यान-15/2019/205/58-2-2019-600(7)/2017, दिनांक-22.02.2019 में उल्लिखित शर्तों एवं नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाय।

(3) उक्त ब्याज उपादान की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्तक की धनराशि संस्था के टर्मलोन खातें में निर्गत किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(4) अनुदान हेतु स्वीकृत धनराशि जारी करने से पूर्व उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्कंरण उद्योग नीति-2017 के दिशा-

.....2/-

http://shasanadesh.up.gov.in

निर्देशानुसार संस्था से वांछित समस्त अभिलेखों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कराने की कार्यवाही निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्क रण/प्राधिकृत संस्थाक द्वारा पूर्ण करा ली जायेगी।

(5) संस्था द्वारा संचालित इकाई का स्थलीय निरीक्षण एवं प्रगति का निरीक्षण निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा किया जायेगा तथा उसकी आख्या शासन में उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) उक्त धनराशि का उपयोग/व्य य दिनांक-31.03.2025 से पूर्व कर लिया जायेगा तथा आडिटेड उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्धन कराया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि को भुगतान करने से पूर्व वित्तीय नियमों/शासनादेशों तथा राज्यव सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) धनराशि का व्यय किसी भिन्ना प्रयोजन में नहीं किया जायेगा तथा उसी मद में किया जायेगा जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(9) उक्त धनराशि के व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता हेतु निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्क)रण/निदेशक, मिशन तथा वित्ता नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तररदायी होंगे।

(10) राज्ये सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों/वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन न किये जाने अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता/शिथिलता पाये जाने पर दी गई अनुदान की धनराशि की सुसंगत वसूली कर ली जायेगी तथा दोषी के विरूद्ध सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(11) यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या्-01/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांकरू 04.03.2024 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बी0एल0 मीणा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-268/2024/638(1)/58-2-2024, तद्दिनांकरू

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य4क कार्यवाही हेतु प्रेषित रू-

(1) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्न हिल रोड, प्रयागराज।

(2) जिलाधिकारी, रायबरेली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्त्र से उक्तज का सत्याहपन कराकर शासन को सूचित करने का कष्टय करें।

(3) वित्तू नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्कतरण, उ0प्र0 लखनऊ/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ़द्यान निदेशालय, उत्तशर प्रदेश, लखनऊ।

(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।

(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

(7) नियोजन अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन।

(8) संबंधित संस्थाभ।

(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in